

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 117/2022 राजस्व अपील

1. करणसिंह
2. रंगलाल
पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 10.12.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम करणसिंह मुकदमा संख्या 170/2021 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री रामावतार गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 24.06.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त ने ग्राम गांवडी स्थित खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.16 है. पर सम्वत 2076 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना ही निर्णय दिनांक 10.12.2021 पारित कर अपीलान्त को 30 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई सबूत व जवाब पेश करने का मौका ही नहीं दिया। पीडित पक्ष को सजा जैसे मुकदमे में पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिये। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा कर कानूनी गलती की है। अपीलान्त की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्त ने ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.16 है. पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा अपीलान्त का किसी भी चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है तथा अपीलान्त भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 10.12.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.16 है. पर काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी कर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर पेनल्टी व 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावें।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्त का ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.16 है. पर काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त आदेश पारित किया गया है। अपीलान्त द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.16 है. पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना, अपीलान्त का किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा अपीलान्त द्वारा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जाना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.16 है. पर से अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना, अपीलान्त का किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा अपीलान्त द्वारा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.12.2021 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 10.12.2021 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुमित्रा पारीक)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

(सुमित्रा पारीक)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा